जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

उचित उधार प्रथा संबंधी नीति - ऋण खातों में "दंडात्मक शुल्क"

दस्तावेज वर्जन इतिहास

क्र.सं.	तैयारकर्ता	अनुमोदनकर्ता	अनुमोदन तारीख	वर्जन संख्या
1	ऋण विभाग	बोर्ड	03.11.2023	V.1.0

[Date]

जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

उचित उधार प्रथा संबंधी नीति - दंडात्मक शुल्क अगस्त 2023

1. **विषय-वस्तु सूची**

2. पृष्ठभूमि.....3

3. परिभाषा 3

4. दंडात्मक ब्याज/ विलंब भुगतान शुल्क लगाने के लिए अपनाए जाने वाले आरबीआई के निर्देश 3

5. दंडात्मक शुल्क/विलंब भुगतान शुल्क लगाने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई जाने वाली नीति 4

GIC HOUSING FINANCE LTD

उचित उधार प्रथा संबंधी नीति - दंडात्मक शुल्क अगस्त 2023

2. पृष्ठभूमि

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 18 अगस्त 2023 के अपने परिपत्र आरबीआई/2023-24/53विवि.एमसीएस.आरईसी.28/01.01.001/2023-24 के माध्यम से गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों ("एनबीएफसी") के बोर्डों को ऋण खातों पर दंडात्मक शुल्क लगाने के लिए "बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति" तैयार करने के लिए सूचित किया था।

आरबीआई द्वारा परिपत्र के अनुसार यह पाया गया है कि कई विनियमित संस्थाएं (आरई) ग्राहकों द्वारा ऋण करार के महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों, जिन पर ऋण सुविधाएं स्वीकृत की गई थीं, के चूक / गैर-अनुपालन के मामले में, लागू ब्याज दरों के अलावा, दंडात्मक ब्याज दरों का प्रयोग करती हैं।

आरबीआई के अवलोकन के अनुसार दंडात्मक ब्याज/शुल्क लगाने का इरादा अनिवार्य रूप से ऋण अनुशासन की भावना पैदा करना है और ऐसे शुल्कों का उपयोग ब्याज की अनुबंधित दर से अधिक राजस्व वृद्धि साधन के रूप में नहीं किया जाता है। हालाँकि, पर्यवेक्षी समीक्षाओं ने दंडात्मक ब्याज/शुल्क लगाने के संबंध में विनियमित संस्थाओं के बीच भिन्न प्रथाओं का संकेत दिया है, जिससे ग्राहकों की शिकायतें और विवाद उत्पन्न हो रहे हैं।

3. परिभाषा:

(क) ईएमआई : समान मासिक किस्त
(ख) पीईएमआई : पूर्व-समीकृत मासिक ब्याज

4. दंडात्मक शुल्क लगाने के लिए अपनाए जाने वाले निर्देश

आरबीआई ने अपने द्वारा विनियमित गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों सहित सभी पंजीकृत संस्थाओं को **01 जनवरी 2024 से सभी नए ऋणों के लिए आवेदन करने वाले** ऋण खातों पर "दंडात्मक शुल्क लगाने" के बारे में निर्देश जारी किए हैं। **मौजूदा ऋणों के लिए, कार्यान्वयन या तो अगली समीक्षा में या प्रभावी तिथि से 6 महीने के भीतर (यानी 1 जनवरी, 2024) जो भी पहले हो, होता है।**

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (जीआईसीएचएफएल) ("कंपनी") के बोर्ड द्वारा निम्नलिखित आंतरिक मार्गदर्शक सिद्धांत और दंडात्मक शुल्क मॉडल निर्धारित किया गया है। इस नीति को हमेशा आरबीआई के दिशानिर्देशों, निर्देशों, परिपत्रों और निर्देशों के साथ पढ़ा जाना चाहिए। कंपनी सर्वोत्तम उद्योग प्रथाओं को तब तक लागू करेगी जब तक ऐसी प्रथाएं आरबीआई दिशानिर्देशों के साथ टकराव नहीं करती हैं या उनका उल्लंघन नहीं करती है।

"दंडात्मक शुल्क" की व्युत्पत्ति वर्तमान उद्योग मानकों और प्रथाओं के अनुसार होगी।

ऋण और लेखा विभाग के प्रमुखों द्वारा "दंडात्मक शुल्क" दर मॉडल की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी और कम से कम वार्षिक रूप से बोर्ड को उपयुक्त सिफारिशों के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

[Date]

5. "दंडात्मक शुल्क" लगाने के लिए कंपनी की नीति इस प्रकार है:

"दंडात्मक शुल्क"/विलंब भुगतान शुल्क

(क) सामान्य ब्याज के अलावा, कंपनी किसी भी बकाया राशि के भुगतान में देरी या चूक के लिए और ग्राहकों द्वारा ऋण करार के महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों का अनुपालन न करने पर "दंडात्मक शुल्क"/देर से भुगतान शुल्क वसूल सकती है। कंपनी द्वारा पेश किए गए विभिन्न उत्पादों या सुविधाओं के लिए ये "दंड शुल्क" सभी उत्पादों के लिए समान है।

(ख) "दंडात्मक शुल्क" जैसा कि वर्तमान प्रथा है, बकाया ईएमआई/पीईएमआई (समान मासिक किस्त/पूर्व-समीकृत मासिक ब्याज) जो विलंबित है, के 1.25% प्रति माह या 15% प्रतिवर्ष की दर से लगाया जाता है।

(ग) किसी भी ऋण खाते के लिए ईएमआई/पीईएमआई (समान मासिक किस्त/पूर्व-समीकृत मासिक ब्याज) का भुगतान हर महीने की पहली तारीख को देय होता है और ग्राहक द्वारा उस महीने के अंत से पहले देय होता है जिसमें ईएमआई/पीईएमआई देय होती है। जिस महीने के अंत में ईएमआई/पीईएमआई देय होती है उसके बाद किसी भी देरी पर ग्राहक द्वारा जमा/भुगतान किए जाने पर बकाया ईएमआई/पीईएमआई के 1.25% प्रति माह या 15% प्रतिवर्ष की दर से अतिरिक्त "दंडात्मक शुल्क" लगेगा।

(घ) "दंडात्मक शुल्क" को मुख्य बकाया ब्याज के साथ पूंजीकृत नहीं किया जाएगा और उपरोक्त दर के अनुसार विलंबित प्रत्येक ईएमआई/पीईएमआई के लिए ग्राहक द्वारा भुगतान किया जाएगा। 1.25% प्रति माह की दर से अतिरिक्त "दंडात्मक शुल्क" बकाया ईएमआई/पीईएमआई (समान मासिक किस्त/पूर्व-समीकृत मासिक ब्याज) के साथ उस महीने के बाद ग्राहक द्वारा जमा/भुगतान किए जाने पर देय होगा, जिसमें ईएमआई/ पीईएमआई देय था।

(ड.) मुख्य ब्याज के साथ चक्रवृद्धि नहीं किया जाएगा और ग्राहक द्वारा जमा/भुगतान किए जाने पर बकाया ईएमआई/पीईएमआई (समान मासिक किस्त/पूर्व-समीकृत मासिक ब्याज) के साथ अलग से एकत्र किया जाएगा।

(च) ईएमआई/पीईएमआई (समान मासिक किस्त/पूर्व-समीकृत मासिक ब्याज) के भुगतान में चूक या देरी के लिए और ग्राहकों द्वारा ऋण करार के महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों का अनुपालन न करने के लिए एसएमएस, मेलर्स, व्हाट्सएप या टेली कॉल के माध्यम से द्वारा ग्राहक को भेजे गए सभी संचारों में ग्राहक द्वारा भुगतान नहीं किए गए बकाया ईएमआई/पीईएमआई (समान मासिक किस्त/पूर्व-समीकृत मासिक ब्याज) के लिए और ग्राहकों द्वारा ऋण करार के महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों का अनुपालन न किए जाने पर देय अतिरिक्त "दंडात्मक शुल्क" का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा।

(छ) ऋण की मंजूरी के समय हमारे "ऋण करार" और "प्रस्ताव पत्र" में "दंडात्मक शुल्क" भी सूचित किया जाएगा और जिसके लिए प्रस्ताव के "नियम और शर्तों की स्वीकृति" को रिकॉर्ड में रखा जाएगा।

(ज) अधिक पारदर्शिता के लिए और भविष्य में किसी भी विवाद या शिकायत से बचने के लिए प्रसंस्करण शुल्क, दस्तावेज़ीकरण शुल्क, सेरसाई शुल्क इत्यादि जैसे अन्य शुल्कों के साथ-साथ ऋण आवेदन के लिए लागू शुल्कों के तहत लागू "दंडात्मक शुल्क" भी कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित और शामिल किया जाएगा।

****